ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लाट नं0–1 नॉलेज पार्क–4, ग्रेटर नौएडा सिटी, गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0)

पत्रांक/उद्योग/2017/1924

दिनांक: 05.10.2017

कार्यालय आदेश

ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के औद्योगिक इकोटेक–11 का विकास कार्य समयान्तर्गत न होने के कारण उद्यमियों की समस्याओं एवं व्यवहारिक कठिनाईयों के दृष्टिगत औद्योगिक विकास के हित में इकोटैक–11 के भूखण्डों की लीजडीड एवं क्रियाशील कराने का अन्तिम अवसर पुनः प्रदान किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड की 109वीं बैठक दिनॉक 22.09.2017 को मद संख्या–109/10 में प्रस्तुत किया गया था।

सैक्टर इकोटेक–11 के उद्यमियों को लीजडीड निष्पादित कराने हेतु अधिकतम दिनॉक 15.11.2017 तथा निर्माण पूर्ण कर क्रियाशील कराने हेतु वर्तमान औद्योगिक नीति के अन्तर्गत लीजडीड निष्पादन की तिथि से 18 माह का समय विस्तरण प्रदान किये जाने का अनुमोदन प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया। दिनॉक 15.11.2017 तक उद्यमियों द्वारा लीजडीड न करा पाने की स्थिति में भूखण्ड स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

उक्त आदेश प्राधिकरण बोर्ड में लिये गये निर्णय के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

(अनिल कुमार शर्मा)
उप महाप्रबन्धक(उद्योग)

प्रतिलिपिः–
1. निजी सचिव को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सूचनार्थ।
2. निजी सचिव को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सूचनार्थ।
3. महाप्रबन्धक (वित्त/नि0/परि0) ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण।
4. प्रबन्धक (उद्योग)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. गार्ड फाईल।

5/10/17

उप महाप्रबन्धक(उद्योग)

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लाट नं0–1 नॉलेज पार्क–4, ग्रेटर नौएडा सिटी, गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0)

पत्रांक/उद्योग/2017/1915

दिनांकः 05.10.2017

कार्यालय आदेश

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के औद्योगिक विभाग में प्रचलित नियमों के अनुसार लीजरेन्ट का निर्धारण भूखण्ड की लागत के अनुसार किया जाता है। वार्षिक लीजरेन्ट की धनराशि भूखण्ड के प्रीमियम का 2.5 प्रतिशत होता है । वार्षिक लीजरेन्ट के अनुसार 10 वर्ष के पश्चात लीजरेन्ट में 50 प्रतिशत की बढोत्तरी प्रचलित नीति के अनुसार की जाती है(यानि 1.5 गुणा) । भूखण्ड के हस्तांतरण के समय यदि लीजरेन्ट एक मुश्त जमा नहीं है तो भूखण्ड हस्तांतरण के तत्समय प्रचलित दर को आबंटन दर मानते हुए पुनः लीजरेन्ट का निर्धारण किया जाता है। प्राधिकरण बोर्ड की 109वीं बैठक दिनॉक 22.09.2017 के मद संख्या–109/07 पर निर्णय के क्रम में भूखण्ड हस्तांतरण की स्थिति में संशोधित लीजरेन्ट का निर्धारण निम्नानुसार किया गया हैः–

यदि भूखण्ड हस्तांतरण के समय लीजरेन्ट एक मुश्त जमा नहीं है तो तत्समय प्रचलित दर के अनुसार लीजरेन्ट का निर्धारण करते हुए, भूखण्ड हस्तातरण पत्र निर्गत की तिथि से 10 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात ही 1.5 गुणा यानि 50 प्रतिशत की बढोत्तरी की जायेगी।

उक्त आदेश प्राधिकरण बोर्ड में लिये गये निर्णय के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

(अनिल कुमार शर्मा)
उप महाप्रबन्धक(उद्योग)

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सूचनार्थ।
2. निजी सचिव को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सूचनार्थ।
3. महाप्रबन्धक (वित्त/नि0/परि0) ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण।
4. प्रबन्धक (उद्योग)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. गार्ड फाईल।

उप महाप्रबन्धक(उद्योग)

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लाट नं0–1 नॉलेज पार्क–4, ग्रेटर नौएडा सिटी, गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0)

पत्रांक/उद्योग/2017/ 1916

दिनांकः05.10.2017

कार्यालय आदेश

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक क्षेत्र के ऐसे औद्योगिक भूखण्ड जिनका आबंटन 30.09.2011 से पूर्व का है, के आबंटियों की समस्याओं एवं व्यवहारिक कठिनाईयों के दृष्टिगत औद्योगिक विकास के हित में औद्योगिक भूखण्डों की लीजडीड एवं कियाशील कराने का अन्तिम अवसर पुनः प्रदान किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड की 109 बैठक दिनॉक 22.09.2017 को प्रस्ताव मद संख्या–109/8 पर प्रस्तुत किया गया था।

सैक्टर इकोटेक–11 को छोडकर अन्य सैक्टरों के भूखण्ड जिनकी लीजडीड दिनॉक 30.11.2016 तक नहीं हो सकी है। ऐसे भूखण्डों की लीजडीड निष्पादित कराने हेतु अन्तिम तिथि 30.10.2017 तक प्राधिकरण बोर्ड में लिये गये निर्णय के कम में निर्धारित विलम्ब शुल्क सहित इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि अन्तिम तिथि 30.10.2017 तक लीजडीड न करा पाने की स्थिति में भूखण्ड स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

उक्त आदेश प्राधिकरण बोर्ड में लिये गये निर्णय के कम में निर्गत किया जा रहा है।

(अनिल कुमार शर्मा)
उप महाप्रबन्धक(उद्योग)

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सूचनार्थ।
2. निजी सचिव को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सूचनार्थ।
3. महाप्रबन्धक (वित्त/नि0/परि0) ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण।
4. प्रबन्धक (उद्योग)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. गार्ड फाईल।

5/10/17

उप महाप्रबन्धक(उद्योग)